## बैठक सत्र 2020-21

आज दिनांक 23-11-2020 को प्राचार्य कक्ष में दोपहर 3.00 बजे सम्मिलित निधि समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए —

1. डॉ. मनदीप खालसा
2. डॉ. प्रभा वेदलेकर
3. डॉ. ए. एस. साहू
4. श्री के. के. ध्रुव
5. श्रीमती नमिता कर

### कार्यवाही विवरण

1. पूर्व बैठक के निर्णयों का अनुमोदन :—

समिति सचिव डॉ. मनदीप खालसा द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों को सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया जिसे सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया।

2. उपलब्ध कोष की जानकारी —

महाविद्यालय के मुख्य लिपिक श्रीमती नमिता कर द्वारा विकास निधि मद में उपलब्ध राशि की जानकारी दी गई जिसके अनुसार —

नियमित छात्र-छात्राओं से प्राप्त राशि - 97625/-
अमहाविद्यालयीन छात्रों से प्राप्त राशि - 10,000/-
कुल राशि - 107,625/-

अक्षरी - एक लाख सात हजार छै सौ पचीस

3. विधि विभाग के लिए एक आलमारी, कार्यालय के लिए एक आलमारी क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. महाविद्यालय के अन्य विभागों के लिए 03 आलमारि

एवं 03 नग बुक सेल्फ क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया |

Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

Principal
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

## बैठक

आज दिनांक 12-07-2020 दिन रविवार को दोपहर 12:00 बजे स्थानीय प्रबंधन समिति की बैठक महाविद्यालय कुरुद्वेरी के वाचनालय कक्ष मे जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष माननीय डॉ.— श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, विधायक, नगरी - सिहावा विधान सभा क्षेत्र, की अध्यक्षता मे आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित रहे :—

1. माननीया डॉ (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव · अध्यक्ष
2. माननीय श्री शरद लोहाणा जी · सदस्य
3. माननीय श्री भरत सोनी जी सदस्य
4. माननीय श्री विजय साहू जी सदस्य
5. माननीय श्री राजेन्द्र लंकड़ जी सदस्य
6. माननीय श्रीमती कविता योगेशबघेल सदस्य
7. माननीय श्री लक्की जैन सदस्य
8. माननीय श्री पी.सी. परदेकर सदस्य
9. माननीय श्री घनश्याम साहू सदस्य
10. माननीय डॉ चन्द्रशेखर चौबे जी · सचिव
11. माननीय श्री सोमेश मेश्राम जी सदस्य

## बैठक कार्यवाही विवरण

पिछली बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन -

दिनांक 15.07.20 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही विवरण का बिन्दुवार वाचन प्राचार्य द्वारा किया गया। जिसमें बिन्दु क्रमांक 1 महाविद्यालय भवन का रंग-रोगन की जिम्मेदारी के संबंध में समिति के सदस्य श्री विजय साहू द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे अध्यक्ष एवं सदस्यों ने स्पष्ट कर आपत्ति दूर कर की तथा सभी बिन्दुओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

रसायनशास्त्र लैब का उद्घाटन -

जनभागीदारी मद से निर्मित रसायनशास्त्र लैब का उद्घाटन जनभागीदारी समिति के सभी माननीय सदस्यों एवं महाविद्यालय के स्टाफ की उपस्थिति में माननीया डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव, विधायक एवं अध्यक्ष जनभागीदारी समिति के द्वारा किया गया साथ ही निर्माणाधीन स्मार्ट क्लास रूम का अवलोकन व निरीक्षण किया गया।

एजेण्डा क्रमांक- 01 नैक मूल्यांकन की तैयारी के संबंध में चर्चा -

01.1 नैक मूल्यांकन के लिए महाविद्यालय द्वारा की गई अब तक की तैयारी का विवरण प्राचार्य द्वारा समिति के समक्ष रखा गया। माननीया अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि गार्डन, गर्ल्स हॉस्टल, कैण्टीन, रंग कार्य, नये रोजगार मूलक कोर्स आदि की व्यवस्था के संबंध मे प्रयास करें तथा A ग्रेड के हिसाब से तैयारी की जावें।

एजेण्डा क्रमांक- 02- निर्माण कार्यों की प्रगति -

02.1 जनभागीदारी मद से निर्माणाधीन स्मार्ट क्लास रूम

तथा लायब्रेरी आटोमेशन की प्रक्रिया का निरीक्षण माननीया अध्यक्ष सहित समस्त माननीय सदस्यों ने किया एवं किये गये कार्योपर प्रसन्नता जाहिर की।

एजेण्डा क्रमांक-03-कर्मचारियों का मानदेय-

03.1 जनभागीदारी समिति के लेखांकन कार्य करने वाली महाविद्यालय की कर्मचारी श्रीमती नमिता कर ने वर्तमान में दिये जा रहे मासिक मानदेय रु० 6000/- में वृद्धि की मांग की थी जिसपर समिति ने सर्वसम्मति से मासिक मानदेय में 4000/- की वृद्धि की वृद्धि करते हुए जुलाई 2020 से रु० 10000/- मासिक मानदेय दिये जाने की सहमति दी।

03.2 ग्रंथालय में सुश्री प्रियंका जाधव की सेवाओं का मानदेय-

प्राचार्य ने समिति को सूचित किया कि ग्रंथालय डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में ग्रंथालय की किताबों को SOUL Software की प्रक्रिया के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रविष्टि की जानी थी। इस हेतु सुश्री प्रियंका जाधव की सेवाएं माह दिसम्बर 2019 से ली जा रही है। अबतक उनके द्वारा 9000 (नौ हजार) पुस्तकों की प्रविष्टि की जा चुकी है। प्राचार्य ने उक्त कार्य के लिए 3.00 रु० प्रति एण्ट्री की दर से भुगतान किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। जिस पर समिति प्रदान की। अतः सुश्री जाधव को दिसम्बर 2019 से जून 2020 तक कुल 09 हजार प्रविष्टियों के लिए 3.00 प्रति प्रविष्टि की दर से 27000.00 रु० (सत्ताईस हजार रु० मात्र) भुगतान की स्वीकृति दी गई।

03.2 ग्रंथालय प्रभारी श्री पी०बी० पराडकर का प्रस्ताव-

श्री पी०बी० पराडकर, सेवानिवृत्त ग्रंथपाल, ग्रंथालय प्रभारी के रूप में जनभागीदारी मद से 10000.00 (दस हजार रु० मात्र) मासिक मानदेय प्राप्त कर रहे है, उन्होंने मानदेय का त्याग करते हुए माह जुलाई 2020 से निशुल्क सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा साथ ही सुश्री प्रियंका जाधव की सेवाएं जारी रखते हुए उन्हें 7000.00 रु० (सात हजार रु० मात्र) मासिक निश्चित मानदेय पर उनकी सेवाएं जारी रखने का प्रस्ताव रखा जिसे समिति ने सहमति प्रदान की।

एजेण्डा-04 अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य विषय

04.1 महाविद्यालय के कन्या छात्रावास के पुर्ननिर्माण हेतु प्राचार्य द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर समिति के माननीय सम्मानित सदस्य श्री शरद लोहना ने DMF मद से उक्त कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया।

04.2 गर्ल्स हास्टल के सामने स्थित भूमि पर गार्डन बनाने:-

माननीय श्री शरद लोहना ने गर्ल्स हास्टल के सामने महाविद्यालय प्रवेश द्वार के समीप स्थित पड़े भूमि पर गार्डन बनाने का प्रस्ताव प्राक्कलन, ड्रॉइंग डिजाईन सहित प्रस्तुत किया। जिस पर उपस्थित समस्त सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। अतः विमोर मढ़ावर, इंजिनियर एवं आर्कीटेक्ट द्वारा प्रस्तुत ड्रॉइंग डिजाईन एवं प्राक्कलन पर अनुमानित लागत 07.05 लाख रु० में गार्डन बनाने के लिए सहमति प्रदान की।

04.3 अतिरिक्त स्मार्ट क्लास रूम :-

प्राचार्य ने माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि महाविद्यालय प्रशासन के पास स्मार्ट क्लास के समस्त उपकरण उपलब्ध है, यदि समिति सहमत हो तो मुख्य भवन कक्ष क्रमांक 05 को फ्लोर टाईल्स एवं एल्युमिनियम स्लाईडिंग

ग्लास विण्डों की व्यवस्था जनभागीदारी मद से कर के एक अन्य अतिरिक्त क्लॉस रूम तैयार हो जावेगा। जिस पर समिति ने सहमति प्रदान की। अनुमानित लागत में समतलीकरण एवं घास की लागत शामिल नहीं है।

04.4 स्टॉफ रूम सुधार कार्य :-

स्टॉफ रूम की बिना पल्लों वाली खिड़कियों में स्लाइडिंग ग्लास विण्डो लगाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई साथ ही स्टॉफ रूम के लेडिस टॉयलेट को चेंजिंग रूम में परिवर्तित करने की भी सहमति दी गई।

04.5 तालाब (Pond) निर्माण के संबंध में :-

मुख्य भवन के दाहिने ओर गड्डे वाली जमीन पर छोटा तालाब बनाने का प्रस्ताव माननीया अध्यक्ष महोदय ने दिया साथ ही माननीय श्री शरद लोहाना को निर्देशित किया कि उक्त कार्य माननीय महापौर से सम्पर्क कर नगर निगम के माध्यम से कराया जावे। तालाब निर्माण से न केवल भूमिगत जल स्रोत में वृद्धि होगी अपितु पर्यावरण एवं नैक मूल्यांकन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा।

04.6 मिटिंग हाल का निर्माण :-

समिति के सदस्य माननीया श्रीमती कविता बाबर द्वारा सुझाव दिया गया कि महाविद्यालय में एक मिटिंग हॉल अवश्य होना चाहिए। भविष्य में यथाशीघ्र सुसज्जित मिटिंग हाल जनभागीदारी मद से बनाने का प्रस्ताव दिया गया जिस पर सदस्यों ने सहमति दी।

04.7 समिति प्रत्येक बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रतियाँ सदस्यों को उपलब्ध कराने बाबत।

माननीया श्रीमती कविता बाबर यह प्रस्तावित किया कि समिति प्रत्येक बैठक उपरांत बैठक कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि सभी सदस्यों को अनिवार्यतः उपलब्ध कराई जावें। इस पर प्राचार्य ने सूचित किया कि पूर्व की दो बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी। अतः बैठक तिथि के सात दिवस के अन्दर बैठक कार्यवाही विवरण की प्रतियां समस्त सदस्यों को उपलब्ध कराई जावेगी।

04.8 प्राचार्य के सेवा निवृत्ति पश्चात अवैतनिक रूप से महाविद्यालय में निरंतर लिये जाने बाबत।

माननीय श्री राजेन्द्र कुकरेजा (?) ने अध्यक्ष महोदय समक्ष प्रस्ताव रखा। वर्तमान प्राचार्य चन्द्रशेखर चौबे 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चूंकि नैक मूल्यांकन की समस्त तैयारी उनकी देखरेख में हो रही है अतः नैक मूल्यांकन तक उनकी सेवाएं महाविद्यालय में निरंतर जारी रखी जावें। प्राचार्य डॉ. चौबे ने स्वयं अवैतनिक सेवाएं देने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है। इस पर माननीया अध्यक्ष महोदय जी ने सूचित किया कि प्रस्ताव माननीय शिक्षामंत्री को दिया है। यदि शासन से सहमति नहीं मिल पाती है तो डॉ. चौबे की अवैतनिक सेवाएं जनभागीदारी प्राध्यापक के रूप में ली जा सकती है। इस प्रस्ताव पर समिति के सदस्य माननीय श्री सोमेश सेठ ने आपत्ति दर्ज की और उन्होंने डॉ. चौबे की सेवा लिये जाने पर असहमति व्यक्त की। उपस्थित सदस्यों में माननीय श्री विजय साहू, माननीय श्री भरत ठानी, माननीय श्री के.सी. जैन, माननीय श्री पी.बी. पेंडकर द्वारा प्रस्ताव को रखे जाने पर पूर्णतः सहमति दी। शेष सदस्यों ने भी आपत्ति प्रगट नहीं की। अतः डॉ. चौबे की अवैतनिक सेवाएं जनभागीदारी प्राध्यापक के रूप में नैक मूल्यांकन कार्यवाही तक लिये जाने की सहमति प्रदान की गई।

04.9 श्री अजय पारख, चार्टर्ड एकाउटेंट की सेवाओं के लिए आभार प्रदर्शन बाबत।

महाविद्यालय के प्राचार्य ने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि जनभागीदारी का गठन सन् 1997 से हुआ है। समिति के नियमानुसार समिति के खातों का अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा कराया जाता है। 1997 से अब तक यह कार्य चार्टर्ड एकाउटेंट श्री अजय पारख के द्वारा किया जा रहा है और इस हेतु उन्होंने अब तक कोई पारिश्रमिक नहीं लिया है और न लेना चाहते हैं। महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र होने के नाते उन्होंने यह सेवा निःशुल्क प्रदान की है।

उक्त जानकारी से उपस्थित सभी सदस्यों ने श्री अजय पारख का हर्ष ध्वनि से स्वागत किया तथा जनभागीदारी समिति की तरफ से हार्दिक आभार प्रगट किया। समिति की तरफ से यह संदेश श्री अजय पारख तक पहुँचाए जाने की सहमति दी गई।

[signature] 12.17.201

[signature]
Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

जावक कमांक 2391
दिनांक 06/3/2017

रूप दो

( नियम 6 देखिये )

# छत्तीसगढ़ शासन

## सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

क्रमांक संभाग–रायपुर / जिला–धमतरी / पं0क0–36036

यह प्रमाणित किया जाता है कि ________ एल्युमनी एसोसिएशन बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी समिति जो ________ द्वारा – बी.सी.एस. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी तहसील ____ धमतरी ______ जिला ______ धमतरी ______ छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 ( का कमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 06 / 03 / 2017......... को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर संभाग, छत्तीसगढ़

(आर.आर. राजमान)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार 6/3/17
सोसायटियों के रजिस्ट्रार

6.2.2

ऋचा

पदेन सचिव
डॉ.चन्द्रशेखर चौबे

अध्यक्ष
मान. डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव

सदस्य
श्री शरद लोहाना

पदेन उपाध्यक्ष
एस.डी.एम.
(कलेक्टर प्रतिनिधि)

# स्थानीय प्रबंधन समिति

## (जनभागीदारी समिति)

सांसद प्रतिनिधि
श्री विजय साहू

विधायक प्रतिनिधि
श्री भरत सोनी

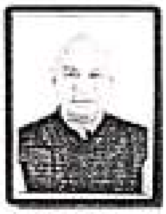

सदस्य
श्री मदन मोहन खंडेलवाल

सदस्य
श्री राजेन्द्र लुकंड़

सदस्य
श्रीमती कविता योगेश बाबर

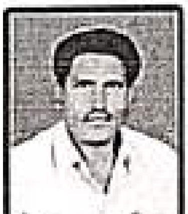

सदस्य
श्री घनश्याम साहू

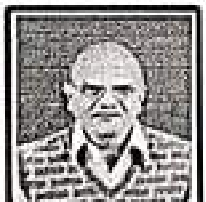

सदस्य
श्री पी.वी. पराड़कर

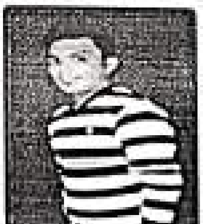

सदस्य
श्री राजेन्द्र लुकंड़

सदस्य
श्री सोमेश मेश्राम

पदेन सदस्य
प्राचार्य
शा.बा.उ.मा.वि.धमतरी

Principal
C.S. Govt. P.G. College
(C.G.)

# विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता

## 1. सामान्य नियम

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय–परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय–परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन–निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय–परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

## 2. *अध्ययन संबंधी नियम*

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी. / एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय में न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षो, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

## 3. *परीक्षा सम्बन्धी नियम*

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

## 4. *महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र*

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना–पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

Principal
B.C.S. Govt. P. G. College
Dhamtari (C.G.)

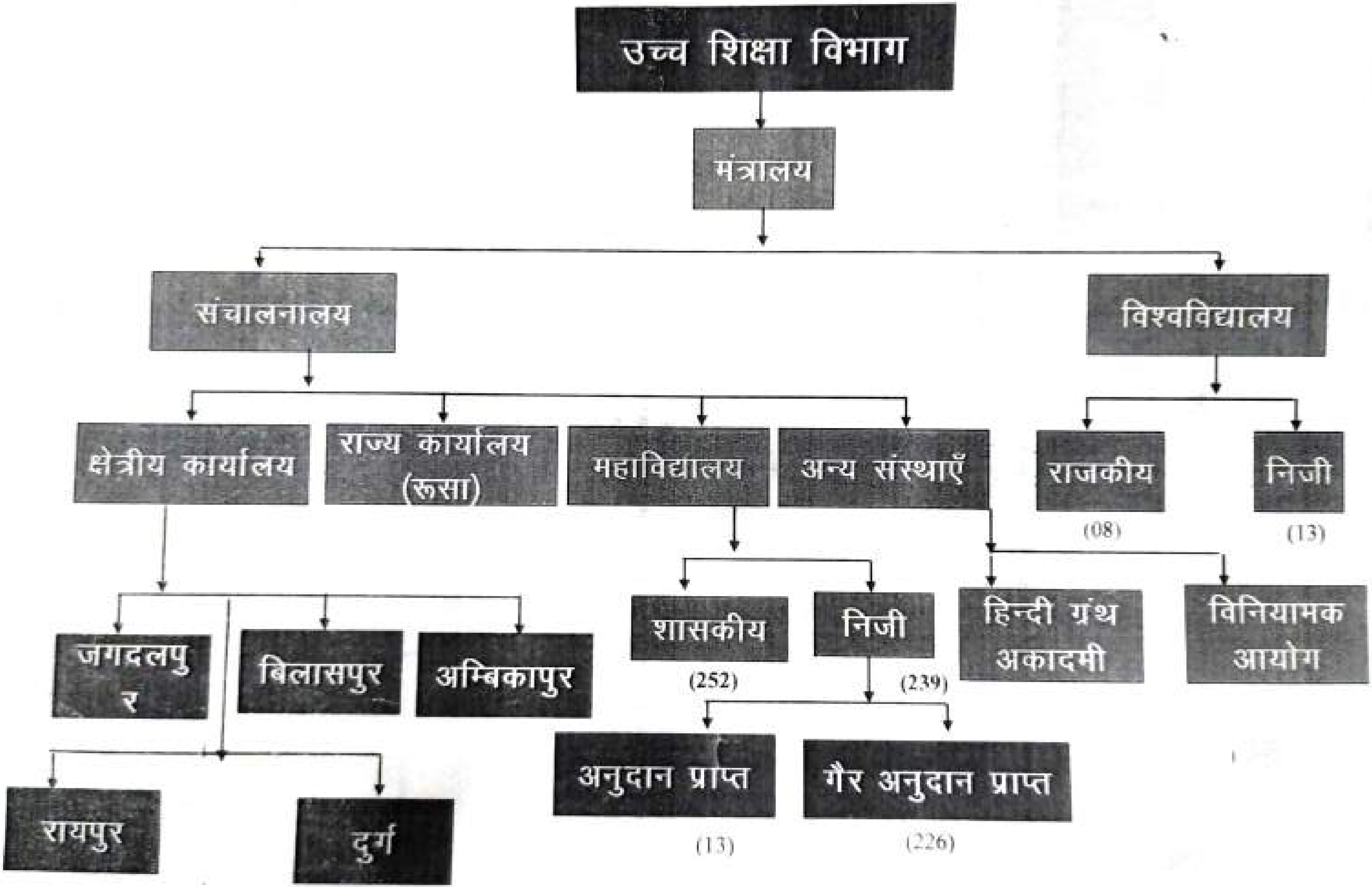
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
संचालनालय
विश्वविद्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
राज्य कार्यालय (रूसा)
महाविद्यालय
अन्य संस्थाएँ
राजकीय
(08)
निजी
(13)
जगदलपुर
बिलासपुर
अम्बिकापुर
रायपुर
दुर्ग
शासकीय
(252)
निजी
(239)
अनुदान प्राप्त
(13)
गैर अनुदान प्राप्त
(226)
हिन्दी ग्रंथ अकादमी
विनियामक आयोग

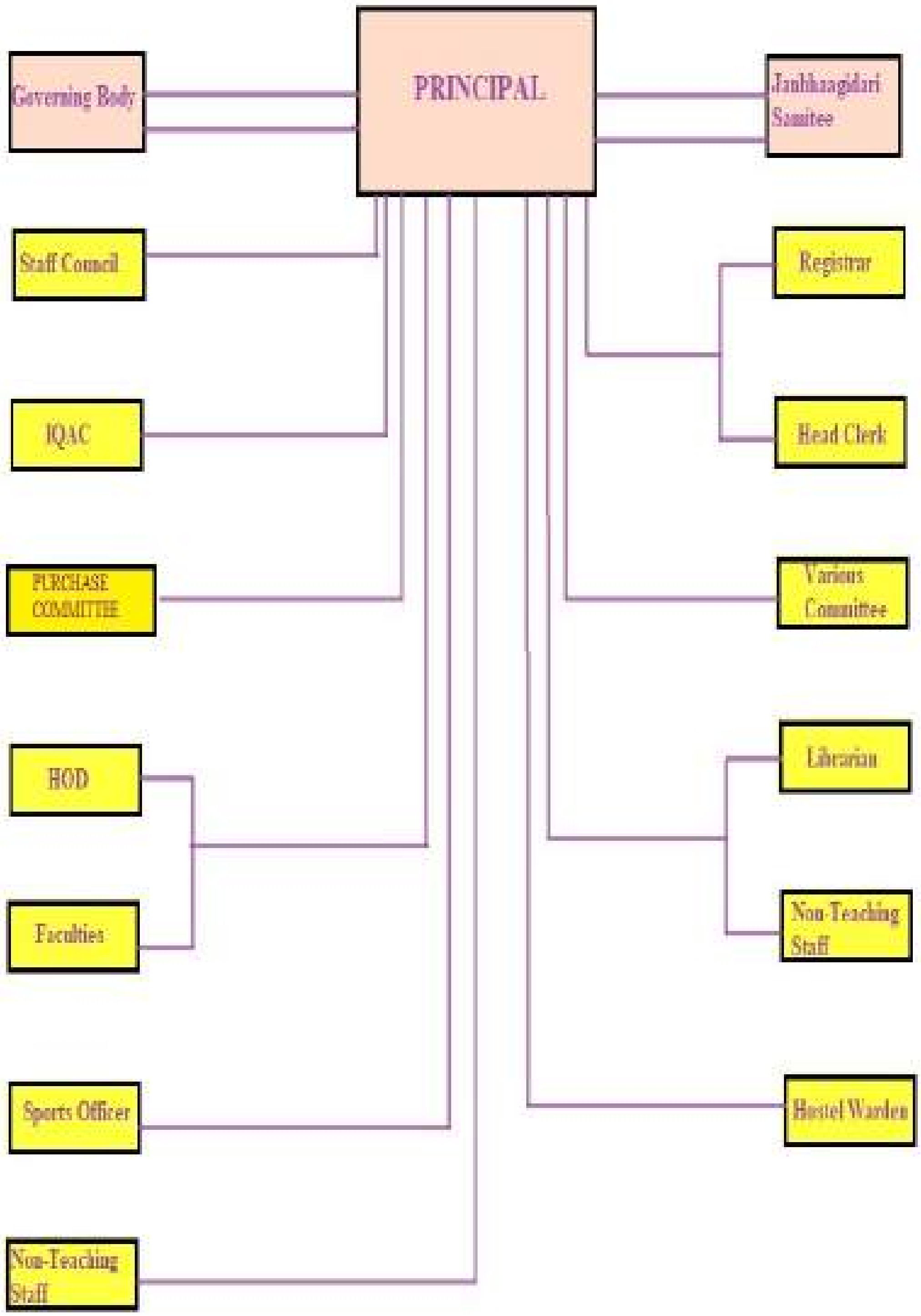

PRINCIPAL
Governing Body
Janbhaagidari Samitee
Staff Council
Registrar
IQAC
Head Clerk
PURCHASE COMMITTEE
Various Committee
HOD
Librarian
Faculties
Non-Teaching Staff
Sports Officer
Hostel Warden
Non-Teaching Staff